

उत्तर प्रदेश शासन  
नागरिक उड्डयन अनुभाग  
संख्या :50/2017/713/छप्पन-17-05/96  
लखनऊ : दिनांक :05 जुलाई,2017

कार्यालय-ज्ञाप

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अनुरक्षण एवं सामान्य प्रशासन इकाई में कार्यालय ज्ञाप संख्या-1074/छप्पन-2014-19/11 दिनांक 02-07-2014 द्वारा मुख्य अभियंता के पद पर श्री शोभित दास को संविदा सेवा के आधार पर नियत मासिक पारिश्रमिक रू0 2-00 लाख (रूपये दो लाख मात्र) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति प्रदान की गयी थी, जिसके अनुपालन में श्री शोभित दास द्वारा दिनांक 03-07-2014 के पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया। इस प्रकार उनकी संविदा अवधि दिनांक 02-07-2016 को समाप्त हो गयी। तदोपरान्त श्री शोभित दास की संविदा अवधि कार्यालय ज्ञाप संख्या-871/छप्पन-16-5/96 दिनांक 10 अगस्त, 2016 द्वारा नियत मासिक पारिश्रमिक रू0 2,62,500/- (रूपये दो लाख बासठ हजार पाँच सौ मात्र) पर अग्रेतर एक वर्ष अर्थात् दिनांक 03-07-2016 से दिनांक 02-07-2017 तक पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन बढ़ायी गयी थी, जिसकी अवधि दिनांक 02-07-2017 को समाप्त हो रही है। निदेशक, नागरिक उड्डयन, 30प्र0, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री शोभित दास नागरिक उड्डयन निदेशालय में आगे भी कार्य करने के इच्छुक हैं। साथ ही साथ उनके द्वारा श्री शोभित दास की संविदा अवधि पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 03-07-2017 से अग्रेतर 01 वर्ष (अर्थात् दिनांक 03-07-2017 से 02-07-2018 तक) के लिए बढ़ाये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल मुख्य अभियंता के पद पर श्री शोभित दास की संविदा अवधि उन्हें वर्तमान में प्राप्त हो रहे नियत मासिक पारिश्रमिक रू0 2,75,625/- (रूपये दो लाख पचहत्तर हजार छः सौ पच्चीस मात्र) एवं शासनादेश संख्या-1422/छप्पन-2014-17/2014 दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में विहित व्यवस्था के अनुसार अनुमन्य वार्षिक वेतन वृद्धि पर दिनांक 03-07-2017 से अग्रेतर 01 वर्ष (अर्थात् दिनांक 03-07-2017 से 02-07-2018 तक) के लिए बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- श्री शोभित दास को उक्त संविदा अवधि में नियत मासिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुए उन पर संविदा सेवा अवधि में अन्य शर्तें वही लागू होंगी, जो अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होती हैं और वितीय नियम संग्रह खण्ड-दो, भाग-दो के सहायक नियम-157-ए तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत उन्हें अस्थायी राज्य कर्मचारियों की भांति अवकाश देय होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4- श्री शोभित दास से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर उसे शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(सूर्य पाल गंगवार)  
विशेष सचिव।

श्री शोभित दास,  
सेवानिवृत्त वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता,  
नागरिक उड्डयन निदेशालय,  
30प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ

संख्या :50/2017/713(1)/छप्पन-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, 30प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री शोभित दास से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), 30प्र0, इलाहाबाद।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 6- कार्मिक अनुभाग-1/गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)  
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।